इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों को 12+स्तर पर भौतिकी, रसायनशास्त्र और गणित विषयों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिये। प्रवेश परीक्षा की पात्रता के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और उन सभी छात्रों को, जिन्होंने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति की जानी चाहिये। प्रवेश परीक्षा में योग्यता का रैंक ही दाखिले का आधार होना चाहिये।

2. पालीटेक्निकों में दाखिल के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम

इंजीनियरी में डिप्लोमा कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में एक ही बार में बैठने से विज्ञान तथा गणित में न्यूनतम कुल अंकों के 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिये। यह मानदंड वहां भी लागू होगा, जहां दाखिले 10+परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किये जाते हैं।]

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाया गया है कि दाखिले सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय रूप से अभिशासित होने चाहिये। दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन करने का मानदंड 10+स्तर की माध्यमिक स्कूल छोड़ने की प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी विषयों में अंकों की कुल प्रतिशतता पर आधारित योग्यता का रैंक होना चाहिये अथवा यह प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने चाहिये यदि यह परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।

3. आरक्षित वर्गों के लिए दाखिले सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा यथा निर्धारित सम्बंधित वर्गों की योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

4. तकनीक संस्थाओं में दाखिले के लिए इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को शैक्षिक वर्ष 1991-92 से कार्यान्वयन हेतु उपाय आरम्भ करने के लिए इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है। सम्बंधित राज्य सरकारें सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों के परामर्श से इस ओर अपेक्षित कार्रवाई कर रही हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा एल०पी०जी० सिलेंडरों की बुकिंग कराने के लिए समय सीमा

639. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा एल०पी०जी० सिलेण्डरों के बुक कराने के लिए कम से कम 21 दिन की समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एल.पी.जी. के वितरकों को एक निर्धारित अवधि के भीतर एल०पी०जी० सिलेण्डरों की सप्लाई करने के निर्देश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर सप्लाई करने की न्यूनतम अवधि क्या है; और

(घ) क्या सिलेण्डरों की विलम्ब से सप्लाई करने के संबंध में वितरकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :(क) से (ग) रिफिल की बुकिंग और उसकी अंतिम आपूर्ति की अवधि 21 दिन से कम करके 10 दिन की कर दी गई है। एल.पी.जी. विपणन तेल कम्पनियों से एल.पी.जी. वितरकों को रिफिलों की आपूर्ति "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" आधार पर तत्परता से

करने के अनुदेश हैं। हालांकि मार्किट में यदि बैकलॉग रहता है तो थोड़ा विलम्ब होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

(घ) एल.पी.जी. वितरकों के विरुद्ध सभी शिकायतों की जांच की जाती है और जहां ये सिद्ध होती हैं, वहां विपणन अनुशासन मार्ग-निर्देशों एवं डीलरशिप करारों के अंतर्गत कारवाई की जाती है।

Expansion of Vijayawada and Tirupati Airports

640. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work of expansion of airports at Vijayawada and Tirupati in Andhra Pradesh is in progress;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when the work is likely to be completed at these airports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI HARMOHAN DHAWAN): (a) Yes, Sir.

(b) The details of work to be executed are as follows:—

(1) Expansion and strengthening of Runway to 7500 feet.

(2) Widening and Strengthening of taxi-track;

(3) Widening and strengthening of apron;

(4) Construction of new terminal building at Vijayawada and new terminal building and control tower at Tirupati.

(c) The duration for completion of work is 30 months from the date of award of contract.

Power supplied by N.T.P.C.

641. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state the details of power supplied by the National Thermal Power Corporation to various States, State-wise and year-wise, during the last five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI BABANRAO DHAKNE): The information regarding energy sent out to the various States from the National Thermal Power Corporation (NTPC) power projects during the last 5 years is given below:—

	1986-87 (MUs)	1987-88 (MUs)	1988-89 (MUs)	1989-90 (MUs)	1990-91 (Upto Dec., 90) (MUs)
NORTHERN REGION					
Uttar Pradesh	3490	4545	5059	7110	6015
Rajasthan	901	1675	2195	2898	2252
Delhi	1114	1514	1538	2242	1728
Punjab	202	940	1192	1146	1049
Haryana	446	939	1203	1590	1226
Himachal Pradesh	44	134	93	119	93
Chandigarh (UT)	7	11	111	169	100
Jammu & Kashmir	4	3	38	171	259